राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2161/2015

अशोक कुमार साहनी —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जिला खण्ड द्वितीय, बीकानेर।
4. सहायक निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 21.08.2015
आदेश की दिनांक : 05.08.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री, सुरेन्द्र सिंह, अधिवक्ता
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री राजेश कुमार निगम, राजकीय अधिवक्ता

समक्षः– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवडा, सदस्य

आदेश

प्रस्तुत अपील के अनुसार अपीलार्थी अप्रेल, 1998 में जब कमाण्ड एरिया डवलपमेंट (सीएडी) विभाग बीकानेर में कार्यरत था तो उसे दिनांक 21.04.1998 को उक्त विभाग से अधिशेष होने पर एक माह का नोटिस दिया गया और इस संबंध में 4 मई, 1998 को जीएडी को पत्र भेजा गया और दिनांक 04.06.1998 को अपीलार्थी को जीएडी के लिए कार्यमुक्त कर दिया गया। अपीलार्थी ने दिनांक 04.06.1998 से 31.08.1998 तक कलक्टर बीकानेर के अधीन कार्य किया। अपीलार्थी को 21.03.1997 से 21.04.1997 तक का वेतन बिना किसी उचित कारण के नहीं दिया गया। अपीलार्थी ने वर्ष 1989 से 1998 के मध्य हाउस एंड बिल्डिंग एडवांस की राशि 60,000/– रू. छह किश्तों में विभाग से बतौर ऋण प्राप्त की और अपीलार्थी ने वर्ष 1997 तक 54,000/– रू. विभाग में जमा करवा दिए और मार्च, 1998 में 6,000/– रू. की बकाया राशि मिली एक मुश्त चालान के माध्यम से दिनांक 06.03.1999 (अनुलग्नक–1) को जमा करवा दी और इसके अतिरिक्त 5,250/–रू. ब्याज की राशि भी अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.2000 (अनुलग्नक–2) को चालान से जमा करवा दी। अपीलार्थी को वर्ष 1992 व वर्ष 1997 में वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ बिना किसी उचित कारण के नहीं दिया गया और काफी विलम्ब से वर्ष 1992 की वार्षिक वेतन वृद्धि दी गई और वर्ष 97 की वेतन वृद्धि का लाभ अपीलार्थी को उसकी सेवानिवृति दिनांक 30.09.2010 तक नहीं दी गई। अपीलार्थी अपनी अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर

दिनांक 30.09.2010 को सेवानिवृत हो गया। अपीलार्थी ने सेवानिवृति से पूर्व पेंशन संबंधी समस्त कार्यवाही विभाग के समक्ष पूर्ण कर दी थी लेकिन फिर भी विभाग ने उसे समय पर पेंशन का भुगतान नहीं किया गया और उसे अनुचित रूप से लगभग एक वर्ष की अवधि के पश्चात दिनांक 29.09.2011 को पेंशन, कम्यूटेशन व ग्रेच्यूटी राशि का भुगतान किया गया। अपीलार्थी को 5,30,657/– रू. की राशि का भुगतान पीपीओ / जीपीओ नं. 667308 आर द्वारा किया गया। इसी प्रकार कम्यूटेशन की राशि रू. 3,63,420/– का भुगतान दिनांक 19.08.2011 को किया गया जो लगभग एक वर्ष विलम्ब से किया गया। अपीलार्थी को पेंशन की ऐरियर की राशि का भुगतान एक वर्ष पश्चात किया गया जबकि उसे सेवानिवृति के पश्चात ही पेंशन का लाभ दिया जाना चाहिए था (अनुलग्नक–3)। अपीलार्थी का बिना उचित कारण से उसकी ग्रेच्यूटी राशि में से विभाग द्वारा 56747+341+102 रूपये की वसूली अनुचित रूप से कर ली गई जबकि इस संबंध में अपीलार्थी को कोई सुनवाई का अवसर भी नहीं दिया गया न ही जानकारी दी गई कि उक्त राशि किस आधार पर काटी जा रही है। अपीलार्थी ने उच्च अधिकारियों से अनेक बार निवेदन किया कि अनुचित रूप से कटौती की गई है जो उसे वापिस दिलवाई जाय अथवा बताया जाय कि उक्त कटौती किस आधार पर की गई है। अपीलार्थी ने अपने सेवानिवृति लाभ प्राप्त करने हेतु दिनांक 26.09.2013 (अनुलग्नक–4) द्वारा अपने अधिवक्ता के जरिये एक नोटिस भिजवाया और अपीलार्थी स्वयं ने दिनांक 30 सितम्बर, 2014 (अनुलग्नक–5) द्वारा विभाग के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया लेकिन विभाग द्वारा अपीलार्थी के प्रकरण में कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः अपीलार्थी की अपील स्वीकार की जाकर अपीलार्थी को एक माह का वेतन दिनांक 21.03.1997 से 21.04.1997 मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जाये और अपीलार्थी को वर्ष 1992 को देय वेतन वृद्धि का लाभ 4–5 वर्ष पश्चात दिया इसलिए विलम्ब होने के कारण उक्त राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जावे और वर्ष 1997 की वेतन वृद्धि का लाभ जो आज दिनांक तक नहीं दिया गया उक्त लाभ अपीलार्थी को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के दिलवाया जाये तथा अपलार्थी को पीपीओ / जीपीओ से 56747+341+102 रू. की जो अवैध कटौती की गई है वह राशि अपीलार्थी को मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित वापिस दिलवायी जाये एवं अपीलार्थी को 5,30,657/– रूपये की ग्रेच्यूटी राशि व 3,63,420/– कम्यूटेशन की राशि और पेंशन ऐरियर की राशि जो एक वर्ष विलम्ब से मिली है उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलवाया जाये ।

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी को दिनांक 21.03.1997 से 25.03.1997 एवं दिनांक 15.04.1997 से दिनांक 21.04.1997 तक का सेवाकाल ड्यूटी में शुमार नहीं मानते हुए अवैतनिक माना गया है। अपीलार्थी ने वर्ष 1997 में हाउस एंड बिल्डिंग एडवांस की राशि 54000 + 6000

= कुल 60000/– रुपये एडवांस राशि प्राप्त की। अपीलार्थी ने चालान द्वारा 6000/– रुपये जमा करवाये। 54,000/– रुपये राशि जमा का विवरण नहीं था व अपीलार्थी द्वारा समय पर ऋण भी नहीं चुकाया। विभाग द्वारा अपीलार्थी का पेंशन प्रकरण तैयार कर दिनांक 28.09.2010 (अनुलग्नक–आर/1) द्वारा पेंशन स्वीकृति हेतु भेजा गया। पेंशन विभाग द्वारा अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण के विषय पर आक्षेप लगाया गया कि अपीलार्थी ने भवन निर्माण हेतु ऋण लिया हुआ था जिसका अदेय प्रमाण पत्र नहीं होने के कारण से पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकती। पुनः इस कार्यालय के पत्र दिनांक 13.04.2011 को प्रोविजनल पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु भेजा गया। पेंशन एवं पेंशन कल्याण विभाग, बीकानेर ने आक्षेप लगाया कि L.T.A. (No dues) के कारण प्रोविजनली पेंशन स्वीकृत नहीं की जा सकती। पत्र दिनांक 28.04.2011 एवं दिनांक 24.06.2011 द्वारा अपीलार्थी को लिखा गया कि आप द्वारा लिये गये भवन निर्माण अग्रिम का अदेय प्रमाण पत्र कोषाधिकारी, बीकानेर से प्राप्त कर शीघ्र कार्यालय में प्रस्तुत करें, ताकि पेंशन प्रकरण स्वीकृति हेतु पेंशन विभाग, बीकानेर को भेज सके (अनुलग्नक–आर/5 एवं 6)। पत्र दिनांक 27.07.2011 (अनुलग्नक–आर/7) द्वारा पेंशन केस पुनः प्रस्तुत किया गया। संयुक्त निदेशक एवं पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर के पत्र दिनांक 11.08.2011 (अनुलग्नक–आर/8) द्वारा पेंशन एवं ग्रेच्यूटी स्वीकृत की गई। कोषाधिकारी बीकानेर के पत्र दिनांक 05.07.2011 द्वारा 52,639/– रूपये भवन निर्माण ऋण + 102/– रूपये भवन अग्रिम जोखिम निधि व उप नगर सि. क्षे. विकास बीकानेर के पत्र दिनांक 30.08.2010 द्वारा 341 रूपये की वसूली हेतु पत्र प्राप्त हुआ। कोषाधिकारी बीकानेर के पत्र दिनांक 29.07.2011 द्वारा वाहन ऋण ब्याज राशि 4210/– रूपये वसूली हेतु पेंशन विभाग, बीकानेर को लिखा गया। संयुक्त निदेशक पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग बीकानेर के द्वारा राशि वसूल की गयी (अनुलग्नक–आर/10 एवं 11)। अपीलार्थी को नियमानुसार सम्पूर्ण भुगतान कर दिया गया है, अपीलार्थी की अब कोई भी राशि बकाया नही है। अपीलार्थी को भुगतान में जो भी देरी हुई है उसके लिए विभाग जिम्मेदारी नही है तथा इसके लिए अपीलार्थी स्वयं ही जिम्मेदार है। अपीलार्थी को भवन निर्माण अग्रिम राशि का अदेय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने हेतु लिखा गया (अनुलग्नक–आर/12 से 15)। अपीलार्थी द्वारा समय पर वाहन एवं भवन संबंधी ऋण का अदेय प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.) प्रस्तुत नही करने के कारण अपीलार्थी के पेंशन प्रकरण में देरी हुई है। अपीलार्थी को जो भी नियमानुसार परिलाभ देय थे वो प्रदान किये जा चुके है। अपीलार्थी को जो भी परिलाभ मिलने में विलम्ब हुआ है उसके लिए अपीलार्थी ही जिम्मेदार है। अतः अपीलार्थी की अपील निरस्त किये जाने योग्य है।

हमने अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री और उभय पक्षों के तर्कों के आधार पर प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा चाहें गये अनुतोषों के संबंध में अनुतोष वार निम्न निर्णय पारित किया जाता हैः—

(अ) अपीलार्थी द्वारा दिनांक 21.03.1997 से 21.04.1997 तक की एक माह की अवधि का वेतन मय 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जबकि प्रत्यर्थी विभाग के जवाब के अनुसार दिनांक 21.03.1997 से 25.03.1997 एवं दिनांक 15.04.1997 से 21.04.1997 तक की सेवावधि को ड्यूटी में शुमार नहीं मानते हुए अवैतनिक माना गया है। लिहाजा अपीलार्थी को इस अवैतनिक अवधि का वेतन दिए जाने का अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है परन्तु शेष अवधि दिनांक 26.03.1997 से 14.04.1997 तक का वेतन भुगतान मय 6 प्रतिशत ब्याज वार्षिक की दर से किए जाने हेतु प्रत्यर्थी विभाग को निर्देशित किया जाता है।

(ब) अपीलार्थी का दूसरा अनुतोष जीपीओ/पीपीओ द्वारा 56747+341+102 रुपये की काटी गई राशि को अवैध कटौती बताते हुए 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। अपीलार्थी ने अपील में यह निवेदन किया है कि उसके द्वारा हाउस एवं बिल्डिंग एडवांस की राशि 60000/— रुपये छः किश्तों में विभाग से प्राप्त की, जिसमें से अपीलार्थी ने वर्ष 1997 तक 54000/— रुपये विभाग में जमा करवा दिये और अपीलार्थी ने मार्च 1998 में 6000/— रुपये की राशि एक मुश्त चालान के माध्यम से दिनांक 06.03.1999 को जमा करवा दी और इसके अतिरिक्त 5250/— रुपये ब्याज की राशि भी अपीलार्थी ने दिनांक 31.03.2000 को चालान के रूप में जमा करवा दी, जबकि प्रत्यर्थी विभाग का कथन है कि अपीलार्थी द्वारा 54000/— रुपये जमा करवाने का विवरण नहीं है। अपीलार्थी द्वारा समय पर ऋण भी नहीं चुकाया गया। अपीलार्थी ने पत्रावली पर ऋण राशि 5400/— रु जमा कराने के संबंध में कोई दस्तावेज भी प्रस्तुत नहीं किए है। मात्र 6000/— रुपये जरिये चालान जमा करवाये जाने का चालान प्रस्तुत किया है। अतः अपीलार्थी की जीपीओ/पीपीओ से काटी गई राशि 52639/— रुपये भवन निर्माण ऋण +102 रुपये भवन अग्रिम जोखिम निधि व्यय उप नगर सि. क्षे. बीकानेर के पत्र दिनांक 30.08.2010 द्वारा 341/— रुपये की वसूली हेतु पत्र प्राप्त हुआ। कोषाधिकारी, बीकानेर के पत्र दिनांक 29.07.2011 द्वारा वाहन ऋण ब्याज राशि 4210/— रुपये वसूली हेतु पेंशन विभाग, बीकानेर को लिखा गया। संयुक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, बीकानेर के द्वारा राशि वसूल की गई। अतः हम पाते है कि प्रत्यर्थी विभाग द्वारा की गई कटौती निम्नानुसार है। इसलिए कोई अनुतोष दिए जाना संभव नहीं है।

(स) अपीलार्थी का तृतीय अनुतोष ग्रेच्यूटी की राशि व कम्यूटेशन की राशि और पेंशन एरियर की राशि जो एक वर्ष विलम्ब से मिली है, उस पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाये जाने का अनुतोष चाहा गया है। प्रत्यर्थी विभाग की ओर से

निवेदन है कि अपीलार्थी द्वारा हाउसिंग एवं बिल्डिंग एडवांस का एरियर प्रमाण पत्र समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाने के संबंध में ग्रेच्यूटी राशि व कम्यूटेशन पेंशन परिलाभ इत्यादि भुगतान का विलम्ब हुआ है। इस विलम्ब के लिए विभाग उत्तरदायी नहीं है। अपीलार्थी विलम्ब के लिए स्वयं ही उत्तरदायी है। पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री से स्पष्ट है कि अपीलार्थी के पेंशन स्वीकृति एवं प्रोविजनल पेंशन स्वीकृत पर प्रत्यर्थी विभाग ने समय पर पेंशन विभाग को भेज दिए थे परन्तु ऋण अदेयता प्रमाण पत्र के अभाव में स्वीकृति विलम्ब से हुई। अतः अपीलार्थी का यह अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है।

(द) अपीलार्थी ने वर्ष 1992 में देय वेतन वृद्धि का लाभ चार–पांच वर्ष पश्चात दिए जाने से विलम्ब हेतु उक्त राशि पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाने का अनुतोष चाहा है और वर्ष 1997 में वेतन वृद्धि क लाभ आज दिनांक तक नहीं दिए जाने हेतु उक्त लाभ पर 18 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दिलाने का अनुतोष चाहा है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार अपीलार्थी को वार्षिक वेतन वृद्धि वर्ष 1992 व 1997 में नियमित रूप से दी गई है, जिसके प्रमाण स्वरूप अपीलार्थी की सेवा पुस्तिका की प्रति जवाब के साथ प्रस्तुत की गई है। सेवाभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा चाहा गया यह अनुतोष स्वीकार योग्य नहीं है। उक्तानुसार अपील अपीलार्थी निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)